न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– श्री हरफूल सिंह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–219/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/219

अपीलाण्ट :–

1. सवाराम पुत्र धरमाराम,
2. सावलाराम पुत्र समाराम,
   समस्त जातियान भील,
   निवासीगण चितलवाना, तह
   चितलवाना, जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, चितलवाना, जिला–जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनाँक 14–2–2017 अपील संख्या 56/2016 जिला कलेक्टर, जालोर एवं प्रकरण संख्या–5/2016 दिनाँक 5–10–2016 तहसीलदार, चितलवाना द्वारा पारित किया गया

उपस्थिति :–
1. श्री जगदीश गोदारा, श्री पारसमल बाराडा विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः– 30/8/24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनाँक 14–2–2017 अपील संख्या 56/2016 जिला कलेक्टर, जालोर एवं प्रकरण संख्या–5/2016 दिनाँक 5–10–2016 तहसीलदार, चितलवाना से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट बावजुद तामील न्यायालय में उपस्थित नही हुए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh
Date: 2024.10.08 14:49:18 IST
Reason: SelfAttested

3. बहस अपील अपीलाण्ट की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि :–

30/8/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

जिला कलेक्टर महोदय, जालोर ने अपीलार्थी की अपील मे जल्दबाजी कर उक्त निर्णय पारित किया गया है जिससे किया गया आया खारिज योग्य है।

अपीलार्थीगण की ओर से उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना मे एक दावा प्रस्तुत किया हुआ है जो धारा 88, 188 का न्यायालय में विचाराधीन है जिसके दावा संख्या 269/2014 है उक्त दावे के साथ टी. आई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसके प्रकरण संख्या 74/2014 है। उक्त दावे का अनवान सवाराम बनाम सरकार है। उक्त दावे से तहसीलदार, चितलवाना भी आवश्यक पक्षकार है। न्यायालय से निवेदन किया कि दावे के विचाराधीन रहते तहसीलदार को प्रार्थना पत्र का निर्णय नही करना था परन्तु उनके द्वारा जल्दबाजी करते हुये उक्त निर्णय पारित किया गया है।

अपीलार्थीगण भूमिहीन व्यक्ति है तथा उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है प्रथम सैटलमेन्ट से लगाकर आज दिन तक उक्त भूमि पर रह रहे है तथा अपीलार्थीगण अनुसूचित जनजाति के गरीब काश्तकार पैशा वाले व्यक्ति है। उक्त भूमि के पुराने खसरा नंबर 919,900 मीन है उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण अपने पूर्व अधिकारियो यानी बाप–दादो के समय से बिना किसी बाधा के शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त भूमि पर रहवास हेतु कच्चे झोपडे बने हुये है। उक्त भूमि की बिघोडी अपीलार्थीगण से वसूल की जा रही है। दावे में तहसीलदार की ओर से जवाब दिया कि अपीलार्थीगण के विरूद्ध 2–3 बार 91 की कार्यवाही की थी तथा तीन बार जुर्माना की राशि वसूल की गई थी। धारा 11 सी. पी. सी. यह कहती है कि पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू होता है प्रार्थी के विरूद्ध से पूर्व मे निर्णय हो गये है व दुबारा प्रार्थना पत्र दायर नहीं किया जा सकता। तहसीलदार, चितलवाना ने पूर्व प्रकरणं संख्या 435/2016 दिनांक 29–2–2016 मे निर्णय पारित किया था एवं अब दिनांक 5–10–2016 प्रकरण संख्या–5/2016 में इसी पक्षकार के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। एक बार निर्णय पारित करने के बाद दुबारा उसी पक्षकार के विरूद्ध निर्णय पारित नहीं किया जा सकता इस कारण से तहसीलदार द्वारा किया गया आदेश विधि विरूद्ध एवं मनमाना होने से खारिज योग्य है।

तहसीलदार, चितलवाना ने अपीलार्थीगण को कोई नोटिस नही भेजे थे, नोटिस न भेजकर तहसील कार्यालय से ही दो मौतबिरो के हस्ताक्षर करवाये गये थे। तामिल कुनिन्दा ने अपीलार्थी [illegible] चस्पा की कार्यवाही की जाकर मौतबिरो के हस्ताक्षर करवाने थे [illegible] मौतबिर कहाँ के है कोई हवाला नहीं है जबकि सी. पी. सी. [illegible] मौतबिर आसपास के रहने वाले हो तथा अपीलार्थी नोटिस लेने [illegible] इन्कार करता है तो मौतबिर के हस्ताक्षर किये जाते है ऐसे प्रार्थी को भेजे गये नोटिस में कोई हवाला नही दिया गया है मात्र कागजी कार्यवाही कर पटवा[illegible] के बयान लेकर औपचारिकता निभा कर आदेश पारित किया है जो किया गया आदेश खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:49:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, जालोर के समक्ष अपील में अपीलार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को जवाब एवं साक्ष्य सबूत का समुचित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अवसर नही दिया गया है जिस कारण पत्रावली को रिमाण्ड किया जाना न्याय हित में उचित है। प्रकरण में जिला कलेक्टर द्वारा गौर न कर तहसीलदार का निर्णय विधिवत मानते हुये अपीलार्थी की अपील गलत तरीके से खारिज की गई है जो किया गया आदेश मनमाना होने से खारिज योग्य है।

तहसीलदार, चितलवाना के समक्ष उक्त पत्रावली प्रस्तुत हुई तब तहसीलदार, चितलवाना को मौके की जाँच की जानी आवश्यक थी तथा और किन–किन व्यक्तियो के कब्जे काश्त है मात्र राजनैतिक कारणों से अपीलार्थीगण के विरूद्ध ऐसी कार्यवाही की गई है। किन–किन लोगो के अवैध रूप से कब्जे काश्त है उसकी सूची पत्रावली के साथ प्रस्तुत की जानी आवश्यक है मात्र रंजिशवश ऐसी कार्यवाही की गई है जो की गई कार्यवाही न्यायोचित नहीं होने से खारिज योग्य है। अपीलार्थी सवाराम वृद्ध व्यक्ति है तथा अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है।

अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चितलवाना का आदेश दिनांक 5–10–16 को खारिज किये जाने का आदेश करावे व पत्रावली रिमाण्ड कर सुने जाने का आदेश करायें ।

हमने उपस्थित पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलीयों का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को ध्यान पूर्वक सुना गया नही है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज करने के पश्चात् संबंधित पक्षकारो को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है न ही अपीलाण्ट को सी.पी.सी. के विधिक प्रावधानो के अनुसार सुना गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानो के अनुसार नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर के अपील संख्या 56/2016 निर्णय दिनांक 14.02.2017 सवाराम वगैरा बनाम सरकार एवं न्यायालय तहसीलदार, चितलवाना के प्रकरण संख्या 05/2016 बअनवान सरकार बनाम सवाराम वगैरा को अपास्त किया जाता है। न्यायालय तहसीलदार, चितलवाना को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट्स को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद विधि सम्मत निर्णय पुनः पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ प्रेषित करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:49:18 IST
Reason: SelfAttested

30/9/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 30/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

30/9/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)